बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–...............................

सख्या :– 5 नि०गो०वि० (2) 05/2025. –............................... मत्स्य निदेशालय स्तर पर दिनांक 24.10.2024, 13.12.2024, 26.12.2024, 02.01.2025, 24.02.2025, 13.03.2025 एवं 25.04.2025 को विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पाया गया कि श्रीमती नूतन, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी को पूर्व में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निदेश के अनुसार इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। श्रीमती नूतन के शिथिलता एवं कार्यो के प्रति लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत नया तालाब एवं रियरिंग तालाब निर्माण एवं अन्य अवयव तथा राज्य योजना अन्तर्गत समेकित चौर विकास योजना में लक्ष्यानुसार आवेदन सृजन नहीं कराया गया है। पूर्व में निर्गत कार्यादेश के विरूद्ध कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले आवेदकों के कार्यादेश को निरस्त कर नया कार्यादेश निर्गत नहीं करने के कारण उक्त योजना प्रत्यक्ष रूप से बाधित हुई है।

श्रीमती नूतन द्वारा दिनांक 13.03.2025 को समीक्षा बैठक में अवयववार डी०एल०सी० में चयन हेतु प्रस्ताव एवं चयनित/कार्यादेश निर्गत/कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण हुए आवेदकों की अद्यतन सूची भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत नया तालाब निर्माण, रियरिंग तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक तालाब निर्माण, लघु फीड मिल, वृहद फिड मिल, जिन्दा मछली बिक्री केन्द्र अधिष्ठापन में 4–5 महीना पूर्व कार्य प्रारंभ किये गये आवेदकों से अबतक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया।

मत्स्य निदेशालय स्तर पर दिनांक 24.10.2024 को विभागीय संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। मोतिहारी जिला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत रियरिंग तालाब निर्माण में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि अत्यधिक कम पाया गया है।

दिनांक 13.12.2024 को मत्स्य निदेशालय स्तर पर विभागीय संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्रीमती नूतन बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी। उक्त अनाधिकृत अनुपस्थित के कारण जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी के पद में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

योजना क्रियान्वयन में शिथिलता के आरोप के आलोक में मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 2037 दिनांक 28.10.2024, पत्रांक 2301 दिनांक 22.11.2024, पत्रांक 2897 दिनांक 27.12.2024, पत्रांक 35 दिनांक 03.01.2025, पत्रांक 200 दिनांक 10.01.2025, पत्रांक 880 दिनांक 27.02.2025, पत्रांक 1191 दिनांक 24.03.2025 एवं पत्रांक 1471 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा श्रीमती नूतन से स्पष्टीकरण की मांग किया गया, परंतु उनके द्वारा स्पष्टीकरण निर्धारित समय सीमा के अंदर मत्स्य निदेशालय को समर्पित नहीं किया गया।

मत्स्य निदेशालय के स्तर से विगत छः माह से लगातार आयोजित योजना क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 13.03.2025 एवं 25.04.2025 को पाया गया कि श्रीमती नूतन द्वारा नया तालाब निर्माण में कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले आवेदकों का कार्यादेश अबतक रद्द नहीं किया गया है और न ही पूर्व से प्रारंभ कार्य पूर्ण करवाया गया है। राज्य योजना अन्तर्गत यांत्रिक एयरेटर एवं ट्यूबवेल पम्पसेट अधिष्ठापन में अनुदान भुगतान नही किया गया है। विपणन किट वितरण नहीं करने एवं वर्ष 2022–23 के समेकित चौर विकास योजना में पूर्ण किये गये कार्य के विरूद्ध मापी पुस्तिका दर्ज कराकर अनुदान भुगतान नहीं करने के पृच्छा का संतोषप्रद जवाब श्रीमती नूतन

के द्वारा नहीं दिया गया। इस प्रकार श्रीमती नूतन के योजना क्रियान्वयन के लापरवाह एवं शिथिल रवैया में सुधार नहीं हुआ है। श्रीमती नूतन के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र भ्रमण कार्य प्रभावित है तथा योजना का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है।

उक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती नूतन, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति अत्यधिक कम है, जिससे मोतिहारी जिला के मत्स्य कृषक लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तथा सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्णरूपेण प्रभावित है।

उक्त आलोक में श्रीमती नूतन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (i)(क) में वर्णित प्रावधान के तहत् श्रीमती नूतन, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में श्रीमती नूतन को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
2. निलंबन अवधि में श्रीमती नूतन का मुख्यालय **उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, मुजफ्फरपुर** निर्धारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि०गो०वि० (2) 05/2025– ..../ पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि०गो०वि० (2) 05/2025– ..../ पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/मोतिहारी/मुजफ्फपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि०गो०वि० (2) 05/2025– 238 नि०गो०वि०/ पटना–15, दिनांक– 04.06.2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य//जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी/मुजफ्फरपुर/श्रीमती नूतन, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में **उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, मुजफ्फरपुर**/प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/2025

सरकार के संयुक्त सचिव।